

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 24/2025-26

परिवाद योजित तिथि -08.05.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-24.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि-24.07.2026

श्री हरि सिंह ग्राम-काण्डई पो०-माणखी, .....परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा -तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.....उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा -तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

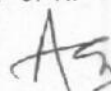
1. परिवादी श्री हरि सिंह ग्राम-काण्डई पो०-माणखी, वि०वि०उपखण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 08.05.2026 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आ रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

  
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

  
सदस्य-तकनीकी

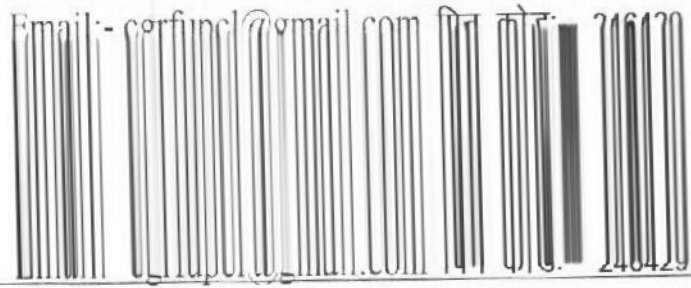
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

 Page | 2  
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

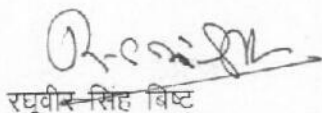
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,



2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 29.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। मंच द्वारा पत्रावली के निस्तारण हेतु परिवादी को साक्ष्य हेतु अगली सुनवाई की तिथि पर उपस्थित होना आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 09.06.2026 एवं 18.06.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली के निस्तारण हेतु परिवादी को साक्ष्य हेतु अगली सुनवाई की तिथि पर उपस्थित होना आदेशित किया गया।
4. दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 24.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता को मीटर रीडिंग के अनुसार ही बिल दिये गये हैं, एवं उपभोक्ता द्वारा माह जुलाई 2022 से अपने बिलों का भुगतान नहीं किया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है। तदनुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।



रघुवीर सिंह बिष्ट  
(विधि सदस्य)  
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



अनिल वर्मा  
(तकनीकी सदस्य)  
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL



अर्जुन सिंह बिष्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)  
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 146 /उ०शि०नि०ग०क०/2026-27,

दिनांक:- 30/07/2026

अधिशारी अभियन्ता,  
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,  
विद्युत वितरण खण्ड गोपेश्वर ।

विषय:- परिवाद संख्या 17 /2026-27 का निर्णय के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 17 /2026-27 परिवादी श्रीमती राधारानी एडवोकेट, विनायकधार पोखरी, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:- यथापरोक्त।

( अर्जुन सिंह बिष्ट )

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०क्रा०वि०ग०सि०म०, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्रीमती राधारानी एडवोकेट, विनायकधार पोखरी।
3. फाइल न०-17 /2026-27।
4. गार्ड फाइल।

( सन्दर्भित आदेश अगले पृष्ठ क्रमांक 02से 03 में संलग्न )

( अर्जुन सिंह बिष्ट )

सदस्य-उपभोक्ता  
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 17/2026-27

परिवाद योजित तिथि -20.04.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-24.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि-24.07.2026

श्रीमती राधारानी एडवोकेट, विनायकधर पोखरी.....परिवादी

बनाम

अधिशारी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा -तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा -तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

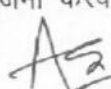
1. परिवादी श्रीमती राधारानी एडवोकेट, विनायकधर पोखरी, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 20.04.2026 को विद्युत मीटर के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थिनी का विद्युत मीटर विभाग द्वारा घर के अन्दर लगाया गया है, जिसे प्रार्थिनी अपने परिसर के मेन गेट पर लगवाना चाहती है जिसके लिए उनके द्वारा हस्तान्तरण फीस रु० 200 भी विभाग में जमा करवायी गई है, मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

  
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

  
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

 Page | 2  
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

**विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)**

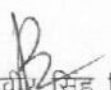
**उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,**

**Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429**

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 29.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी को दिनांक 09.06.2026 तक परिवादी का जवाबदावा पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 09.06.2026 एवं दिनांक 18.06.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच में परिवादी के परिवाद का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 24.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का विद्युत मापक दिनांक 18.04.2026 को शिफ्ट कर दिया गया है।

**आदेश**

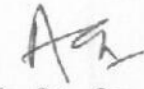
परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

  
रघुवीर सिंह बिष्ट  
(विधि सदस्य)  
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

  
अर्चना वर्मा  
(तकनीकी सदस्य)  
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

  
अर्जुन सिंह बिष्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)  
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- **144** / उ०शि०नि०म०क० / 2026-27,

दिनांक:- **30/07/2026**

अधिशाली अभियन्ता,  
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,  
विद्युत वितरण खण्ड गोपेश्वर ।

विषय:- परिवाद संख्या 14/2026-27 का निर्णय के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक परिवाद संख्या 14/2026-27 परिवादी श्री कुलदीप सिंह, ग्राम व पो०-पोखरी, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:- यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- ✓ 1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०क्रा०वि०ग०सि०म०, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्री कुलदीप सिंह, ग्राम व पो०-पोखरी।
3. फाइल नं०-14/2026-27।
4. गार्ड फाइल।

( सन्दर्भित आदेश अगले पृष्ठ क्रमांक 02से 03 में संलग्न )

(अर्जुन सिंह बिष्ट)  
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 14/2026-27

परिवाद योजित तिथि -20.04.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-24.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि-24.07.2026

श्री कुलदीप सिंह, ग्राम व पो०-पोखरी, .....परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से.....उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री कुलदीप सिंह, ग्राम व पो०-पोखरी, वि०वि०खण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 20.04.2026 को विद्युत बिल के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि परिवादी का विद्युत बिल आपूर्ति से अधिक आ रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य-विधि  
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य-तकनीकी  
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य-उपभोक्ता  
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

**विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)**

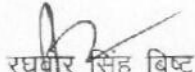
**उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,**

**Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429**

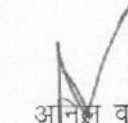
2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 29.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी को अगली सुनवाई की तिथि पर परिवादी की विस्तृत रिपोर्ट एवं जवाबदावा पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 09.06.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।
4. दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 24.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता के संयोजन पर दिनांक 19.04.2026 को चेक मीटर लगाया गया एवं दिनांक 03.05.2026 को फाइनल किया गया, किन्तु दोनों मीटरों की खपत में कोई अन्तर नहीं पाया गया। विभाग द्वारा परिवादी को मीटर रीडिंग के अनुसार ही बिल दिये गये हैं।

**आदेश**

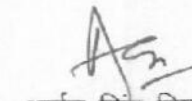
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। तदनुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

  
रघुवीर सिंह बिष्ट  
(विधि सदस्य)  
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

  
अनिल वर्मा  
(तकनीकी सदस्य)  
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

  
अर्जुन सिंह बिष्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)  
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

पत्रांक:- 145 / उ०शि०नि०म०क० / 2026-27,

दिनांक:- 30/07/2026

अधिशाली अभियन्ता,

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,

विद्युत वितरण खण्ड गोपेश्वर ।

विषय:- परिवाद संख्या 15 / 2026-27 का निर्णय के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक परिवाद संख्या 15 / 2026-27 परिवादी श्री सन्दीप लाल, ग्रा०-गोदली, पो०-मसोली, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:- यथापरोक्त।

( अर्जुन सिंह बिष्ट )

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०क्रा०वि०ग०सि०म०, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्री सन्दीप लाल, ग्रा०-गोदली, पो०-मसोली।
3. फाइल नं०-15 / 2026-27।
4. गार्ड फाइल।

( सन्दर्भित आदेश अगले पृष्ठ क्रमांक 02 से 03 में संलग्न )

( अर्जुन सिंह बिष्ट )  
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि० कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

परिवाद संख्या:- 15/2026-27

परिवाद योजित तिथि -20.04.2026

अंतिम सुनवाई तिथि-24.07.2026

निर्णय उद्घोषित तिथि-24.07.2026

श्री सन्दीप लाल, ग्रा०-गोदली, पो०-मसोली,.....परिवादी

बनाम

अधिशारी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर.....विपक्षी।

कोरम-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा -तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

अंतिम सुनवाई की तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति:-

परिवादी की ओर से..... अनुपस्थित।

विपक्षी की ओर से..... उपखण्ड अधिकारी वि०वि०उपखण्ड चमोली उपस्थित।

उद्घोषित द्वारा :-

श्री रघुवीर सिंह बिष्ट-विधि सदस्य।

श्री अनिल वर्मा-तकनीकी सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट- उपभोक्ता सदस्य।

निर्णय

1. परिवादी श्री सन्दीप लाल, ग्रा०-गोदली, पो०-मसोली, वि०वि०उपखण्ड गोपेश्वर द्वारा दिनांक 20.04.2026 को विद्युत आपूर्ति न होने के सन्दर्भ में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि परिवादी के घर में दिगत दो तीन माह से बिजली नहीं आ रही है, जबकि परिवादी अपने विद्युत बिलों का भुगतान विभाग में समय पर करता है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।

सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

Page | 2  
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

**विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट-ताज पैलेस गौचर)**

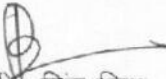
**उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,**

**Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429**

2. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 29.05.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा विपक्षी को दिनांक 09.06.2026 तक परिवादी का जवाबदावा पेश करने हेतु आदेशित किया गया।
3. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 09.06.2026 एवं दिनांक 18.06.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, विपक्षी द्वारा मंच में परिवादी के परिवाद का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।
4. मंच द्वारा दर्ज परिवाद की सुनवाई दिनांक 24.07.2026 के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए, विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड चमोली उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावली एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के परिसर में विद्युत व्यवस्था दिनांक 18.04.2026 को सुचारु कर दी गई है।

**आदेश**

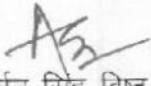
परिवादी के प्रस्तुत परिवाद का समाधान विपक्षी विभाग द्वारा कर दिया गया है। तदनुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

  
रघुवीर सिंह बिष्ट  
(विधि सदस्य)  
सदस्य-विधि

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

  
अनिल वर्मा  
(तकनीकी सदस्य)  
सदस्य-तकनीकी

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

  
अर्जुन सिंह बिष्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)  
सदस्य-उपभोक्ता

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच  
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL